ग्राम पंचायत कुदैल, विकास खण्ड बैजनाथ, जिला काँगड़ा के लेखों का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 01.04.2021 से 31.03.2023

भाग–एक

1. **प्रस्तावना (क):–**

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप–सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, हि0 प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत कुदैल, विकास खण्ड बैजनाथ, जिला काँगड़ा के अवधि 01.04.2021 से 31.03.2023 के लेखों का प्रथम अंकेक्षण हि0 प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत कुदैल में निम्नलिखित प्रधान/सचिव कार्यरत थे:–

प्रधान :–

क्र0 सं0	नाम	अवधि
1	श्री अनूप राणा	01.04.2021 से 31.03.2023

सचिव :–

क्र0 सं0	नाम	अवधि
1	श्री मान सिंह	01.04.2021 से 04.06.2021
2	श्री मेघ राज	05.06.2021 से 01.08.2022
3	श्री रमेश कुमार	02.08.2022 से 31.03.2023

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार :–

ग्राम पंचायत कुदैल के अवधि 01.04.2021 से 31.03.2023 के लेखों के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है:–

क्र0 सं0	पैरा संख्या	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	राशि (₹ लाखों में)
1	4.1	रोकड़ बही एवं बैंक खातों के शेषों का नियमानुसार मिलान न करने के फलस्वरूप रोकड़ बही एवं बैंक खाते के अन्तशेष में भारी अन्तर पाया जाना ।	0.59
2	6	अनुदान राशि का उपयोग हेतु शेष पाया जाना ।	16.30
3	7	पंचायत राजस्व का वसूली हेतू शेष पाया जाना ।	0.48
	7.2	विवाह पंजीकरण के रूप में वसूली न करना ।	0.01
4	7.3	विवाह पंजीकरण शुल्क वसूली राशि को सरकारी कोष में जमा न करने बारे ।	0.03
5	8	रॉयल्टी की वसूली न करने के फलस्वरूप अनियमित/अधिक भुगतान करना।	0.07
6	9	औपचारिकतायें पूर्ण किये बिना स्टॉक/स्टोर का क्रय करना।	1.70
7	12	प्रिया सॉफ्ट तथा मैनुअल संधारित लेखों में राशि का बहुत ज्यादा अन्तर पाया जाना	7.07

भाग–दो

2. वर्तमान अंकेक्षण :–

ग्राम पंचायत कुदैल, विकास खण्ड बैजनाथ, जिला काँगड़ा के अवधि 01/04/2021 से 31/03/2023 तक के लेखों का प्रथम व वर्तमान अंकेक्षण श्री मन मोहन शर्मा, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 06.02.2024 से 15.02.2024 तक ग्राम

पंचायत कार्यालय में किया गया। लेखों की विस्तृत जाँच हेतु आय एवं व्यय के लिए मासों का चयन निम्न प्रकार से किया गया :–

वित्तीय वर्ष	आय	व्यय
2021–22	07 / 2021	12 / 2021
2022–23	02 / 2023	06 / 2022

अस्वीकरणः– वर्तमान अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है । उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई किसी भी गलत सूचना / अभिलेख के अपूर्ण / गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं होगा ।

3. **अंकेक्षण शुल्क :–**

ग्राम पंचायत कुदैल, विकास खण्ड बैजनाथ, जिला काँगड़ा के अवधि 01.04.2021 से 31.03.2023 तक के लेखों का अंकेक्षण शुल्क ₹4800 /– बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क को रेखांकित बैंक ड्रॉफ्ट के माध्यम से निदेशक, हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला–9 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 71 दिनांक 15.02.2023 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसकी अनुपालना में पंचायत द्वारा ड्रॉफ्ट संख्या 005393 दिनांक 04.03.2024 द्वारा अंकेक्षण शुल्क की राशि निदेशक, राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला–9 को प्रेषित कर दी गई है ।

4. वित्तीय स्थिति :–

ग्राम पंचायत कुदैल, विकास खण्ड बैजनाथ द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 01.04.2021 से 31.03.2023 के लेखों की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से थी :–

(1) **स्वः स्त्रोत** :– ग्राम पंचायत कुदैल के अवधि 01.04.2021 से 31.03.2023 तक के स्वः स्त्रोतों की वित्तीय स्थिति का विवरण :–

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	ब्याज	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2021–22	868908.65	70913.00	19609.00	959430.65	192711.50	766719.15
2022–23	766719.15	145352.00	20207.00	932278.15	155502.72	776775.43

(2) **अनुदान** : ग्राम पंचायत कुदैल के अवधि 01.04.2021 से 31.03.2023 तक के अनुदानों की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट–1** में भी दिया गया है :–

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	ब्याज	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2021–22	1486787.46	4088222.00	67125.00	5642134.46	3412779.70	2229354.76
2022–23	2229354.76	5480492.00	57399.00	7767245.76	6136430.08	1630815.68

बैंक समाधान विवरणी :–

Own Source, 5TH SFC,VKVNY, 14thFC, ,15th FC,TDC,MMGPYSDP,WDF

A/c No. 20016006744	KCCB Baijnath	490191
A/c No. 87781100000115	HGB Chobin	195270
A/c No. 87781100000107	HGB Chobin	34016
A/c No. 87780100049992	HGB Chobin	115482
A/C No. 87781100000094	HGB Chobin	1074
A/C No. 87780100005969	HGB Chobin	186485.25
A/c No. 87780100058936	HGB Chobin	78501.14
A/c No 50100324709403	HDFC Baijnath	1020191.3
A/c No 23491450000140	HDFC Baijnath	753
A/c No. 23491450000133	HDFC Baijnath	248.52

A/c No. 23491450000167	HDFC Baijnath		1612
A/c No. 23491450000177	HDFC Baijnath		67426
A/c No. 23491450000150	HDFC Baijnath		274394.93
A/c No. 23491450000123	HDFC Baijnath		559
cash in hand			367
		Total	**2466571.14**

Cash Book Balance on 31.03.2023 (Own Source)		776775.43
Cash Book Balance on 31.03.2023		0
Cash Book Balance on 31.03.2023		57919
Cash Book Balance on 31.03.2023		81691.92
Cash Book Balance on 31.03.2023		0
Cash Book Balance on 31.03.2023		1020191.3
Cash Book Balance on 31.03.2023		0
Cash Book Balance on 31.03.2023		274394.93
Cash Book Balance on 31.03.2023		79503.01
Cash Book Balance on 31.03.2023		1633.52
Cash Book Balance on 31.03.2023		115482
	Total	**2407591.11**
	diffrence	**58980.03**

4.1 रोकड़ बही एवं बैंक खातों के शेषों का नियमानुसार मिलान न करने के फलस्वरूप रोकड़ बही व बैंक खातों के शेषों में ₹0.59 लाख का भारी अन्तर पाया जाना :–

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(3) एवं 10 (1) के अनुसार पंचायतों की रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान करना अनिवार्य है।

पंचायत द्वारा रोकड़ बहियों के शेषों का बैंक खातों के शेषों से मिलान न करना नियमों के विरूद्ध होने के कारण अनियमित है। दिनांक 31.03.2023 को स्वः–स्त्रोत तथा अन्य स्कीमों की रोकड़ बही एवं बैंक पास बुक के अन्तिम शेष का अन्तर पैरा–4 में दिये विवरणानुसार ₹58,980/– पाया गया, जिस बारे स्थिति स्पष्ट करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 72 दिनांक 15.02.2024 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्या जीपीके/2024/43 दिनांक 06.03.2024 द्वारा अंकेक्षण को सूचित

किया गया कि रोकड़ बहियों तथा बैंक खातों का मिलान करके आगामी अंकेक्षण में दर्शा दिया जायेगा।

अतः अन्तर के कारणों का तथ्यपूर्ण औचित्य स्पष्ट करते हुये नियमानुसार रोकड़ बही के शेष व बैंक राशि का मिलान करना सुनिश्चित करें व वस्तुस्थिति अनुसार कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये ।

4.1 पंचायत के लेखे खातों का रख–रखाव नियमानुसार न करना :–

1. हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29(2) के अनुसार लेखों का रख रखाव खाता "क" व "ख" के रूप में किया जाना अपेक्षित है ।

2. निदेशक, पंचायती राज के पत्र संख्या PCH-HC(10)/2016-5072-95 दिनांक 24.01.2018 में दिये गये दिशा निर्देशों के अनुसार आय–व्यय का लेखांकन PRIYA SOFTWARE में किया जाना अपेक्षित है ।

अंकेक्षण के दौरान पाया कि पंचायत में लेखों का रख रखाव उक्त नियम एवं निदेर्शों के अनुसार नहीं किया गया था, जिसका औचित्य स्पष्ट करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 73 दिनांक 15.02.2024 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्या जीपीके/2024/43 दिनांक 06.03.2024 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि खाता क व ख का संधारण कर लिया जायेगा व प्रिया सॉफ्ट में कार्य कर रहे हैं जोकि पूर्ण कर लिया जायेगा ।

अतः नियम, प्रावधानों एवं निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित न करने का तथ्यपूर्ण औचित्य स्पष्ट करते हुये ये महत्वपूर्ण अभिलेख पूर्ण करके अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाये।

5. निवेशः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज वित नियम 2002 के नियम 11 के प्रावधानों अनुसार पंचायत अतिरिक्त निधियों (सभा निधि) को पंचायत द्वारा प्रस्ताव पारित करके राष्ट्रीयकृत बैंक, सहकारी बैंक अथवा सरकारी प्रतिभूतियों में बचत खातों की अपेक्षाकृत ब्याज के रूप में अधिक आय अर्जित करने हेतु निवेशित किया जाना अपेक्षित है।

जबकि पैरा 4(1) में उल्लेखित वित्तीय स्थिति से स्पष्ट है कि पंचायत द्वारा उपलब्ध अतिरिक्त निधियों को बचत खातों की अपेक्षा अधिक ब्याज अर्जित करने हेतु निवेशित नहीं किया गया था, जो न केवल उक्त नियम प्रावधानों की अवहेलना है, अपितु सीमित वित्तीय स्त्रोतों के प्रबन्धन की कमी को भी दर्शाता है । अंकेक्षण अवधि के दौरान पंचायत की सभा निधि में **₹**8,68,908/– से **₹**7,76,775/– की राशि शेष थी।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 74 दिनांक 15.02.2024 द्वारा सचिव ग्राम पंचायत को इस बारे स्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्या शून्य दिनांक जीपीके/2024/43 दिनांक 06.03.2024 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि खाते की छानबीन करने उपरान्त अतिरिक्त राशि को सावधि में निवेश कर लिया जायेगा ।

अतः परामर्श दिया जाता है कि प्रस्ताव पारित करके बचत खातों की अपेक्षा ब्याज के रूप में अधिक आय अर्जित करने हेतु अतिरिक्त राशि को सावधि जमा में निवेश किया जाना सुनिश्चित किया जाये तथा निवेश किये जाने की स्थिति में हि0प्र0

पंचायती राज (वित्त) नियम, 2002 के नियम 12(1) के प्रारूप–1 में अपेक्षित निवेश रजिस्टर का रख रखाव भी किया जाना सुनिश्चित किया जाये ।

6. अनुदान राशि ₹16.30 लाख का उपयोग हेतु शेष पाया जाना :–

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट लेखे, सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 9 के अनुसार प्राप्त अनुदान राशि को फडिंग एजैन्सी की आवश्यकताओं और दिशा निर्देशों के अनुसार खर्च किया जाना अनिवार्य है।

पंचायत द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना (**परिशिष्ट–1**) के अनुसार दिनांक 31.03.2023 तक अनुदान ₹16,30,816/– की राशि उपयोग हेतु शेष थी । ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन अवरोधन होने के साथ–साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से भी वंचित होना पड़ा।

उक्त शेष अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ौत्तरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाये अन्यथा राशि का प्रत्यार्पण सम्बन्धित संस्था को किया जाये तथा कृत अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाना सुनिश्चित किया जाये।

7. पंचायत राजस्व ₹0.48 लाख का वसूली हेतू शेष पाया जाना:–

हि0 प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 33 के अनुसार ग्राम पंचायत सचिव का दायित्व है कि समस्त राजस्व

को नियमित व अविलम्ब रूप से बसूलने व सम्बन्धित ग्राम पंचायत के खातों में समय पर जमा करवाना सुनिश्चित करें तथा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 114 में प्रावधान है कि कोई व्यक्ति किसी कर, शुल्क, दर राशि का भुगतान नहीं करता है तो वह जुर्माने के साथ दण्ड का भागीदार होगा। इसके अतिरिक्त पंचायत सचिव द्वारा फार्म 10 के अनुसार पंचायत के गृह कर का माँग व संग्रहण रजिस्टर तैयार करना अपेक्षित है ।

अंकेक्षण के दौरान पाया कि पंचायत में सम्पत्ति कर से सम्बन्धित अभिलेख पूर्ण रूप से तैयार नहीं किये गये थे जिस कारणवश सम्पत्ति कर से प्राप्त राशि, माँग की गई राशि एवं दिनांक 31.03.2023 को बकाया राशि की सत्यता की जाँच नहीं की जा सकी । पंचायत द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना एवं प्रस्तुत अभिलेखानुसार पंचायत ने अपने अधिकार क्षेत्र में वर्ष 2021–22 व 2022–23 में ₹50/– प्रति परिवार प्रतिवर्ष की दर से गृहकर आरोपित किया गया था । दिनांक 31.03.2023 को निम्न विवरणानुसार पंचायत का कुल राजस्व (सम्पत्ति कर) ₹ 47,550/– वसूली हेतु शेष था:–

सम्पति कर :–

वर्ष	अथशेष (₹)	गृहकर की माँग (₹)	योग (₹)	प्राप्ति (₹)	वसूली हेतू शेष राशि (₹)
2021–22	17300	40000	57300	15050	42250
2022–23	42250	40000	82250	34700	47550

उपरोक्त तालिका, तथ्यों एवं आंकडों से स्पष्ट है कि अंकेक्षण अवधि के दौरान सम्पति कर/गृह कर की नियमित वसूली नहीं की गई थी, जो इस बात की

ओर संकेत करता है कि पंचायत अपनी आय बढ़ाने एवं कर उगाही के प्रति गम्भीर नहीं है।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 75 दिनांक 15.02.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को इस अनियमितता बारे स्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया, जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्या जीपीके/2024/43 दिनांक 06.03.2024 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि सम्पत्ति कर से सम्बन्धित अभिलेख तैयार कर लिये जायेंगे तथा बकाया राशि ₹ 47,550/– शीघ्र ही वसूल कर ली जायेगी ।

अतः अंकेक्षण को दिये आश्वासन, नियम व वस्तुस्थिति अनुसार कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित करें ।

7.2 विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में ₹1000/– की वसूली न करने बारे :–

संयुक्त निदेशक, पंचायती राज विभाग की अधिसूचना संख्या PCH-HA(1)8/2013-Marriage 8017-8110 दिनांक 28.10.16 के अन्तर्गत विवाह के 30 दिन के भीतर पंजीकरण हेतु विवाह पंजीकरण फीस ₹200/– (बी0पी0एल0 परिवार ₹25/–)एवं 30 दिन के उपरान्त व 90 दिन के भीतर विवाह पंजीकरण फीस ₹400/–(बी0पी0एल0 परिवार ₹50/–) प्रति विवाह की दर से वसूल की जानी अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान पाया कि वर्ष 2021–22 व 2022–23 में निम्न विवरणानुसार ₹1000/– विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूल नहीं किये गये थेः–

क0 सं0	विवाह पंजीकरण संख्या	नाम	विवाह की तिथि	पंजीकरण की तिथि	वसूली योग्य राशि	वसूली गई राशि	वसूली हेतु शेष राशि।
1	02	अर्चना देवी	30.04.21	07.05.21	200	0	200

2	07	रविन्द्र कुमार पुत्र श्री कण्डू राम	28.07.21	06.09.21	400	200	200
3	09	विनय कुमार पुत्र श्री विरेन्द्र कुमार	07.11.21	22.11.21	200	0	200
4	10	नरेन्द्र पुत्र श्री सुरेन्द्र पाल	12.08.21	23.08.21	200	0	200
5	7	विकास पुत्र श्री कमलेश	02.12.22	28.12.22	200	0	200
							1000

उक्त विवाह पंजीकरण शुल्क की वसूली न करने का औचित्य स्पष्ट करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 76 दिनांक 15.02.2024 द्वारा पंचायत सचिव से आग्रह किया गया जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्या जीपीके/2024/43 दिनांक 06.03.2024 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि वसूली योग्य विवाह फीस ₹1000/– को वसूल करके जमा करवा दिया जायेगा ।

अतः अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जायें ।

7.3 विवाह पंजीकरण के रूप में वसूली गई राशि ₹0.03 लाख को सरकारी कोष में जमा न करवाने बारे :–

सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हि0प्र0 शिमला की अधिसूचना संख्या SJE-A-A(3)-1/2015 दिनांक 04.10.2016 के अन्तर्गत विवाह पंजीकरण शुल्क निर्धारित दर से प्राप्त की जानी अपेक्षित है तथा जिसे समय–समय पर वसूल करने उपरान्त विवाह पंजीकरण अधिनियम 2004 के नियम 9 के अनुसार राजकीय कोष में निर्धारित प्राप्ति मुख्य शीर्ष खाता संख्या 0235–00–800–03 में जमा करवाया जाना अपेक्षित है ।

अंकेक्षण के दौरान निम्न विवरणानुसार पाया कि ग्राम पंचायत कुदैल द्वारा वर्ष 2021–22 व 2022–23 के दौरान विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में **₹2650/–** वसूली की गई राशि को सरकारी कोष में जमा नंही करवाया गया था ।

क्र0सं0	वित्तीय वर्ष	विवाह पंजीकरण के रूप में वसूली गई राशि ।
1	2021–22	1100.00
2	2022–23	1550.00
	कुल :	**2650.00**

उक्त विवाह पंजीकरण के रूप में वसूली गई राशि को सरकारी कोष में जमा न करवाने का औचित्य स्पष्ट करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 77 दिनांक 15.02.2024 द्वारा पंचायत सचिव से आग्रह किया गया जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्या जीपीके/2024/43 दिनांक 06.03.2024 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई राशि को सरकारी कोष में जमा करवा दिया जायेगा।

अतः प्रश्नात्मक राशि को राजकीय कोष में जमा न करवाने का तथ्यपूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाये अथवा अंकेक्षण को दिये आश्वासन की अनुपालना में कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जायें ।

8. आपूर्तिकर्ता के बिलों से राशि ₹0.07 लाख की रॉयल्टी की कटौती न करना :–

हि0 प्र0 माइनर मिनरल्स नियम, 2015 के नियम 81 व 81–ए के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा खनन सामग्री की आपूर्ति करने पर अधिकृत माईनिंग लीज़ होल्डर द्वारा जारी व माइनिंग अधिकारी या अन्य प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित ट्रॉजिट पास (फार्म–डब्ल्यू) या सप्लिमैंटरी पास (फार्म–एक्स) उपलब्ध करवाना अनिवार्य है

अन्यथा उक्त नियम की द्वितीय अनुसूची के अनुसार निम्न दरों से रॉयल्टी का भुगतान 25 % पैनल्टी सहित करना होगा ।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा आपूर्तिकर्ताओं से खनन सामग्री जैसे पत्थर, रेत, बजरी इत्यादि की आपूर्ति पर उक्त ट्रॉजिट पास अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किये गये। परिणामस्वरूप आपूर्तिकर्ता को निम्न विवरणानुसार ₹6,794/– का अनियमित भुगतान किया गया। इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 79 दिनांक 15.02.2024 के प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा पत्र संख्या जीपीके/2024/43 दिनांक 06.03.24 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि रॉयल्टी की कटौती नहीं की गई है। भविष्य में रॉयल्टी की कटौती करने उपरान्त ही भुगतान किया जायेगा व अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा । उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि नियमानुसार ट्रॉजिट पास की अनुपस्थिति में आपूर्तिकर्ता को खनन सामग्री का भुगतान रॉयल्टी की कटौती 25 % पैनल्टी सहित करने के पश्चात किया जाना अपेक्षित था।

अतः ₹6,794/– के अनियमित भुगतान को या तो समर्थित अभिलेख सहित पूर्ण न्यायोचित ठहराया जाये अथवा इस प्रकरण को सम्बन्धित विभाग से उठाते हुये तदानुसार इसका निपटारा किया जाये व अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाये अन्यथा नियमानुसार वसूली उचित स्त्रोत से करके हि0 प्र0 सरकार के आय लेखा शीर्षकः "0853-Non Ferrous Mining and Metallurgical Industries, 102-Mineral Concession Fee and Royalities, 81-Other receipts" में जमा करवाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये :–

बिल का विवरण	मद नाम	मात्रा (cft)	मात्रा (cum)	निर्धारित फैक्टर	मात्रा मिट्रिक टन	रॉयल्टी (प्रति मि0 टन)	राशि
प्रस्तुत परिशिष्ट अनुसार वर्ष 2021–22	रेत	1125	31.86	1.62	51.61	60	3097.00
	बजरी	685	19.39	1.52	29.47	60	1768.00
	बोल्डर	100	2.83	2.24	6.33	60	380.00
	ईटें	3800 नं0					190.00
						कुल :	**5435.00**
					पैनल्टी 25 %		1359.00
					कुल योग:		**6794.00**

इसके अतिरिक्त यहाँ पर यह भी स्पष्ट किया जाता है कि अंकेक्षण द्वारा केवल चयनित माहों के भुगतानों को रॉयल्टी के लिए जाँचा गया है। शेष अवधि में हुए ऐसे भुगतानों की जाँच अपने स्तर पर करके देय रॉयल्टी (यदि कोई हो) की वसूली करना सुनिश्चित करें तथा वस्तुस्थितिनुसार की गई कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित करें ।

9. औपचारिकताओं को पूर्ण किये बिना ₹1.70 लाख स्टॉक/स्टोर का क्रय करना:–

हि0 प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67(4), 67(5) एवं 69 द्वारा स्टॉक/स्टोर का क्रय करने की औपचारिकतायें (निविदायें इत्यादि आमन्त्रित करना) प्रावधित हैं ।

व्यय वाउचरों के अंकेक्षण के दौरान पाया कि पंचायत द्वारा निम्न विवरणानुसार ₹ 1,70,000/– के स्टॉक/स्टोर का क्रय निविदा सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूर्ण किये बिना ही किया गया था एवं समुचित आपूर्ति आदेश के अभाव में प्राप्त सामग्री की

माँग अनुरूप होने की और बाजारीय प्रतिस्पर्धा का लाभ उठाने की पुष्टि अंकेक्षण में नहीं हो सकी, जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। स्टॉक/स्टोर का क्रय नियमानुसार न करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 80 दिनांक 15.02.2024 द्वारा तथ्यपूर्ण स्थिति स्पष्ट करने बारे अनुरोध किया गया, जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्या जीपीके/2024/43 दिनांक 06.03.2024 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि किये गये क्रय की कार्योत्तर स्वीकृति सक्षम अधिकारी से प्राप्त कर ली जायेगी ।

अतः अंकेक्षण को दिये आश्वासन की अनुपालना में क्रय/व्यय की कार्योत्तर स्वीकृति सक्षम अधिकारी से लेकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवायें एवं भविष्य में बाजारीय प्रतिस्पर्धा का लाभ उठाते हुये नियमानुसार ही क्रय करना सुनिश्चित किया जाये।

वाउचर संख्या व दिनांक	बिल का विवरण	सामग्री का विवरण	राशि	कार्य का नाम
07, 24.06.22	बिल नं0 शून्य दि0 24.06.22 मोहिन्द्र कुमार	छत फिटिंग	45000.00	नि0 महिला मण्डल भवन खतरलेहडू VKVNY
06, 24.06.22	बिल नं0 शून्य दि0 24.06.22 प्रदीप कुमार	छत फिटिंग	27000.00	नि0 महिला मण्डल भवन चनियारा VKVNY
पी—18, 24.06.22	बिल नं0 60 दि0 शून्य मै0 कल्पना राणा	डस्टबिन	49000.00	
पी—18, 24.06.22	बिल नं0 60 दि0 शून्य मै0 कल्पना राणा	डस्टबिन	49000.00	
			170000.00	

10. निर्माण कार्यों से सम्बन्धित अभिलेख स्वीकृति/कार्य आदेश, प्राकल्लन, माप पुस्तिका व उपयोगिता प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न करने बारे ।

हि0प0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षण, सकंर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 व संशोधित नियम 2017 के नियम 94, 95 व 101 अनुसार किसी भी विकास कार्य का निष्पादन प्रशासनिक, तकनीकी स्वीकृति, माप पुस्तिका व प्राक्कलन तैयार किये बिना नहीं किया जा सकता है ।

अंकेक्षण के दौरान पाया कि निम्न विवरणानुसार करवाये गये विकास/निर्माण कार्यों के प्रशासनिक, तकनीकी स्वीकृति, कार्य आदेश प्राक्कलन व उपयोगिता प्रमाण इत्यादि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये, जिसके अभाव में किये गये कार्यों व उसमें प्रयुक्त सामग्री/लेबर पर व्यय, खपत एवं प्रमाणिकता की पुष्टि लेखा परीक्षा में नहीं की जा सकी। जोकि लेखा परीक्षा के प्रति न सिर्फ उदासीनता को परिलक्षित करता है अपितु निर्माण कार्यों में हुए व्यय को भी सन्देहजनक बनाता है, जिस बारे स्थिति स्पष्ट करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 81 दिनांक 15.02.2024 द्वारा अनुरोध किया गया जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्या जीपीके/2024/43 दिनांक 06.03.2024 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि कुछ कार्य प्रगति पर हैं व कुछ कार्य कनिष्ठ अभियन्ता स्तर के है, जिन्हें पूर्ण करने उपरान्त आगामी अंकेक्षण में अवगत करवा दियया जायेगा।

1	नि0 महिला मण्डल भवन खतरबेहडू VKVNY (2021-22)
2	नि0 नाली मलेहड एस0सी0 बस्ती 15th FC (2021-22)
3	मु0 सडक डमरू महादेव से मैहता बस्ती की ओर 15th FC (2021-22)
4	नि0 बाबडी मलेहड एस0सी0 बस्ती 15th FC (2021-22)
5	नि0 शौचालय रा0व0मा0पा0 कृष्णानगर 15th FC (2021-22)

अतः हि0 प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 101 (2) (iii) की अनुपालना सहित अपेक्षित अभिलेख अंकेक्षणार्थ प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाये।

11. **मानदेय एवं चौकीदार वेतन के रख रखाव से सम्बन्धित अभिलेख तैयार न करना ।**

अंकेक्षण के दौरान पाया कि वाउचर संख्या 56 दिनांक 07.12.2021 को ₹66000/– व वाउचर संख्या 10 दिनांक 06.06.2022 को ₹ 53240/– का भुगतान पंचायत प्रतिनिधियों को मानदेय रूप के रूप में किया गया दर्शाया गया था। परन्तु पंचायत प्रतिनिधियो के मानदेय व चौकीदार के रख रखाव से सम्बन्धित अभिलेख तैयार नहीं किये गये थे जिस कारणवश उक्त भुगतान की सत्यता की पूर्ण जाँच नहीं की जा सकी । अतः नियमों के अनुसार उक्त अभिलेख तैयार न करने बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या 78 दिनांक 15.02.2024 द्वारा अनुरोध किया गया जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्या जीपीके/2024/43 दिनांक 06.03.2024 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि सम्बन्धित अभिलेख शीघ्र तैयार करके आगामी अंकेक्षण में अवगत करवा दिया जायेगा।

अतः अंकेक्षण को दिये गये आश्वासन की अनुपालना में कृत कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाये।

12. **प्रिया सॉफट तथा मैनुअल संधारित लेखों में ₹7.07 लाख की राशि का बहुत ज्यादा अन्तर पाया जाना:–**

पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार के तत्वाधान में मिशन प्रोजैक्ट प्रारम्भ की गई तथा जिसका क्रियान्वयन पंचायती राज विभाग हि0प्र0 कर रहा है। इस योजना के

क्रियान्वयन के साथ–साथ हि0प्र0 पंचायती राज नियम (सामान्य) 1997 के नियम 34 में वर्णित सभी रजिस्टरों को कागज रहित प्रणाली के अन्तर्गत ई–पंचायत में बदलने का कार्य भी पंचायती राज विभाग की प्राथमिकता है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा लेखों का अनुरक्षण मैनुअल व प्रिया सॉफ्टवेयर दोनों माध्यमों से किया जा रहा है तथा जो खाते प्रिया सॉफ्टवेयर में बनाये जा रहे है, उनका मैनुअल रोकड़ बही व बैक खातों से मिलान न होने के कारण ₹ 7,06,753.11 की राशि का निम्नविवरणानुसार अन्तर पाया गयाः–

31.03.2023 को प्रिया साफ्टवेयर में संधारित रोकड़ बही का अन्तशेष	₹	17,00,838.00
31.03.2023 को मैनुअल में संधारित रोकड़ बही का अन्तशेष	₹	24,07,591.11
अन्तर	₹	7,06,753.11

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 67 दिनांक 05.02.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को इस बारे स्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया, जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्या क्र0–जीपीके / 2024 / 43 दिनांक 06.03.2024 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि प्रियासॉफ्ट बेबसाईट बाधित होने के कारण अन्तर है, उक्त अन्तर को ठीक कर दिया जायेगा ।

अतः अन्तर के कारणों से अवगत करवाते हुये प्रिया सॉफ्ट तथा मैनुअल संधारित लेखों के अन्तर को ठीक करने उपरान्त वस्तुस्थिति अनुसार कृत कार्रवाई से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित किया जाये।

13. विहित रजिस्टरों का रख रखाव न करना :–

हि0 प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31, 72 व हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (सामान्य) नियम 1997 के नियम 34 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाव किया जाना अनिवार्य है ।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाव नहीं किया गया था, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है ।

अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रख रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाये :–

क्र0सं0	रजिस्टर का प्रकार/विवरण	प्रारूप	सन्दर्भित नियम
1	रसीद बुकों का स्टॉक रजिस्टर	4	13(5)
2	अस्थाई अग्रिमों का रजिस्टर	9	30
3	विकास कार्यों के निष्पादन का रजिस्टर हि0प्र0 पंचायती राज (सामान्य) नियम 1997	7	34
4	अनुदान रजिस्टर	8	34
5	प्रकीर्ण माँग व संग्रहण रजिस्टर	10	33, 77(4)
6	बजट प्राकल्लन	11, 12	37, 38
7	बिल रजिस्टर	13	48
8	मुद्रित सामग्री का स्टॉक रजिस्टर	27	72 (1)(ग)

9	माप पुस्तिकाओं का अनुरक्षण रजिस्टर		101(2) (V)
10	वर्गीकृत सार	8	29 (4)

14. मस्ट्रोलों को सहभागी कमेटी तथा सतर्कता कमेटी से सत्यापन न करवाना :–

पंचायत द्वारा लाखों रूपये के निर्माण कार्य मजदूरों से करवाये गये तथा उन्हें मस्ट्रोलों पर भुगतान किया गया था परन्तु हि0 प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 93 (1) तथा 108 के अनुसार निर्माण कार्यों के मस्ट्रोल को सहभागी कमेटी तथा सतर्कता कमेटी से उक्त नियमानुसार सत्यापित नहीं करवाया गया था।

अतः उक्त के अभाव में भुगतान करने का औचित्य स्पष्ट करते हुये अमल में लाई गई सुधारात्मक कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित किया जाये।

15. भण्डार का प्रत्यक्ष सत्यापन न करना :–

हि0 प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया गया था, जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाये तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाये।

16. **लघु आपित्त विवरणिका** :– इसे अलग से जारी नहीं किया गया अपितु छोटी–छोटी आपत्तियों का अंकेक्षण के दौरान ही निपटारा कर दिया गया ।

17. **निष्कर्ष** :–लेखों में सुधार की आवश्यकता है ।

(श्रीराम सुनील)
सहायक निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला–171009
दूरभाष–0177–2620046

2471 – 2475 का0/56 10 JUN 2024

पृष्ठांकन संख्याः फिन(एल0ए0)एच(पंच)(xv)(2)394/2024–खण्ड–1 दिनाँक, शिमला–09,
प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कुसुम्पटी शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर एक माह के भीतर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

2 उप सचिव एवं समिति अधिकारी स्थानीय निधि लेखा समिति हि0प्र0 विधानसभा शिमला–4 को सूचनार्थ प्रेषित है।

3 जिला पंचायत अधिकारी काँगड़ा, जिला काँगड़ा, हि0प्र0।

4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड बैजनाथ, जिला काँगड़ा (हि0प्र0)।

पंजीकृत 5 सचिव, ग्राम पंचायत कुदैल, विकास खण्ड बैजनाथ, जिला काँगड़ा (हि0प्र0) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

10 JUN 2024

(श्रीराम सुनील)
सहायक निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला–171009
दूरभाष–0177–2620046

का0/56

परिशिष्ट–1

अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा सख्या 4 के सन्दर्भ में

Financial Position of Grant in aid in r/o Gram Panchayat "Kudail" for the year ended 2021-22

Sr.no.	Particulars	Op.Balance	Receipt	Interest	Total	Expenditure	Closing Balance
1	PS, ZP	0	0	0	0	0	0
2	5 SFC	103944	302363	0	406307	391788	14519
3	VKVNY	193540	890490	9626	1093656	1018057	75599
4	14TH FC	219688	0	6393	226081	35931	190150
5	15TH FC	454548	921369	35567	1411484	76.7	1411407.3
6	SBM	0	0	0	0	0	0
7	TSC	258472.93	0	7842	266314.93	0	266314.93
8	MMGPY	75051.01	0	2277	77328.01	0	77328.01
9	SDP	72522.52	200000	2112	274634.52	192927	81707.52
10	WDF	109021	0	3308	112329	0	112329
11	MPLAD	0	0	0	0	0	0
12	RGSA	0	0		0	0	0
13	MNREGA	0	1774000	0	1774000	1774000	0
	Total Rs.	1486787.46	4088222	67125	5642134.46	3412779.7	2229354.76

Financial Position of Grant in aid in r/o Gram Panchayat "Kudail" for the year ended 2022-23

Sr.no.	Particulars	Op.Balance	Receipt	Interest	Total	Expenditure	Closing Balance
1	PS, ZP	0	0	0	0	0	0
2	5 SFC	14519	336260	0	350779	292860	57919
3	VKVNY	75599	1157600	6518	1239717	1158025.08	81691.92
4	14TH FC	190150	0	4912	195062	195062	0
5	15TH FC	1411407.3	1428882	31235	2871524.3	1851333	1020191.3
6	SBM	0	0	0	0	0	0
7	TSC	266314.93	798422	8080	1072816.93	798422	274394.93
8	MMGPY	77328.01	0	2175	79503.01	0	79503.01
9	SDP	81707.52	210000	1326	293033.52	291400	1633.52
10	WDF	112329	0	3153	115482	0	115482
11	MPLAD	0	0	0	0	0	0
12	RGSA	0	0		0	0	0
13	MNREGA	0	1549328	0	1549328	1549328	0
	Total Rs.	2229354.76	5480492	57399	7767245.76	6136430.08	1630815.68

Balance as per Bank on 31.03.22

1 Own Source, 5TH SFC,VKVNY, 14thFC, ,15th FC,TDC,MMGPYSDP,WDF

A/c No. 20016006744	KCCB Baijnath	490191
A/c No. 87781100000115	HGB Chobin	195270
A/c No. 87781100000107	HGB Chobin	34016
A/c No. 87780100049992	HGB Chobin	115482
A/C No. 87781100000094	HGB Chobin	1074
A/C No. 87780100005969	HGB Chobin	186485.25
A/c No. 87780100058936	HGB Chobin	78501.14
A/c No 50100324709403	HDFC Baijnath	1020191.3
A/c No 23491450000140	HDFC Baijnath	753
A/c No. 23491450000133	HDFC Baijnath	248.52
A/c No. 23491450000167	HDFC Baijnath	1612
A/c No. 23491450000177	HDFC Baijnath	67426
A/c No. 23491450000150	HDFC Baijnath	274394.93
A/c No. 23491450000123	HDFC Baijnath	559
cash in hand		367
	Total	2466571.14

Cash Book Balance on 31.03.2022 (Own Source)	776775.43
Cash Book Balance on 31.03.2022	0
Cash Book Balance on 31.03.2022	57919
Cash Book Balance on 31.03.2022	81691.92
Cash Book Balance on 31.03.2022	0
Cash Book Balance on 31.03.2022	1020191.3
Cash Book Balance on 31.03.2022	0
Cash Book Balance on 31.03.2022	274394.93
Cash Book Balance on 31.03.2022	79503.01
Cash Book Balance on 31.03.2022	1633.52
Cash Book Balance on 31.03.2022	115482

Total 2407591.11

diffrence -58980.03

Panchayat Secretary
Gram Panchayat,
Block Baijnath (Kangra) H.P.

Financial Position of Own sources in r/o GP Kudail

Years	Op.Balance	Receipt	Instt.	Total	Expenditure	Closing Balance
2021-22	868908.65	70913	19609	959430.65	192711.5	766719.15
2022-23	766719.15	145352	20207	932278.15	155502.72	776775.43

Kudail

परिशिष्ट-2
(अवेदन प्रतिवेदन के पैरा संख्या 8 के सन्दर्भ में)

Name of Gram Panchayat Kudail Dev. Blcok Baijanth Distt. Kangr H.P.

Year 2021-22

Sr. No	Name of Work	Head	Vendor Name	Voucher No. and Date	Bill No and Date	Sand (CFT)	Bajri (CFT)	Boulder	Bricks (Nos)	Amount
1	Construction of Community Sanitary Complex (CSC) GPS Khlenu	SBM	Krushan Kumar Rana	2 06/06/2022	103 01/06/2022	150	85	100	Nil	17405
2	Construction of Community Sanitary Complex (CSC) GPS Khlenu	SBM	Krushan Kumar Rana	2 06/06/2022	104 01/06/2022	Nil	Nil	Nil	2400	25200
3	C/o Road From Damru Mahdev towards Mehta Basti	15THFC	Kalpna Rana	09 02.06.2022	1/6/2022	390	500	Nil	Nil	49000
4	C/o CSC GSS Krishna Nagar	15THFC	Krushan Kumar Rana	12 21.06.2022	125 2/6/2022	40	100		1400	22320
5	Repair of Drain Malehar SC Basti	15THFC	Krushan Kumar Rana	14 21.06.2022	110 2/6/2022	250				14500
6	C/o P/ Wall Near Sanjay S/o Prakam House	Manrega	Kalpna Rana	01 04/06/2022	137 04/06/2022	160				9280
7	C/o P/Wall Near Bikram Singh S/o Prakam House	Manrega	Kalpna Rana	20/06/2022	12 20/12/2021	135				7695
					Total:	1125	685	100	3800	

Panchayat Secretary
Gram Panchayat, Kudail
Block Baijnath (Kangra) H.P.

24